आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 66/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूको बैंक बी–17, पत्रकार कालोनी, जवाहर नगर, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स काव्या कन्स्ट्रक्शन कं.

   पता–30/30, ए एनकेएस, पत्रकार कालोनी, मानसरोवर, जयपुर।

2. श्रीमती प्रियंका शर्मा

   पता–1. 30/30, ए एनकेएस पत्रकार कालोनी, मानसरोवर, जयपुर।

   2. प्लाट नं. ए–5 भास्कर एनक्लेव –द्वितीय, गोल्यावास, तहसील, सांगानेर।

3. श्री नरेन्द्र कुमार वशिष्ठ

   पता–1. फ्लेट नं. टी–(2) प्लाट नं. 202 पत्रकार कालोनी, ग्राम धोलाई, तहसील सांगनेर, जयपुर।

   2.प्लाट नं. ए–5 भास्कर एनक्लेव –द्वितीय, गोल्यावास, तहसील, सांगानेर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश   दिनांक: 13.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.05.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती प्रियंका शर्मा के द्वारा हाईपोथिकेशन किया हुआ स्टॉक, ईट, सीमेन्ट, स्टील गिट्टी आदि एवं अप्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार वशिष्ठ के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति ए–5 भास्कर एनक्लेव –द्वितीय, गोल्यावास, तहसील, सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 134.44 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 25,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.09.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of

security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 25,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 25,65,602/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.09.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाव नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती प्रियंका शर्मा के द्वारा हाईपोथिकेशन किया हुआ स्टॉक, ईट, सीमेन्ट, स्टील गिट्टी आदि एवं अप्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार वशिष्ठ के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति ए–5 भास्कर एनक्लेव –द्वितीय, गोल्यावास, तहसील, सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 134.44 वर्गगजका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **13.12.2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

13/12/22

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर